

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी	सर्वश्री सवीरा हार्डवेयर एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी, डी-151, विवेक विहार, नई दिल्ली ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	397 / 08, 03.11.2008
प्रार्थी की ओर से	कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सवीरा हार्डवेयर एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी, डी-151, विवेक विहार, नई दिल्ली द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.11.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “ wall mounting brackets ” पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को अन्तिम नोटिस दिनांक 05.03.2014 के लिए प्रेषित की गयी । किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं तथा पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत “ person or dealer concerned ” in U.P.VAT Act ही प्रश्न पूछ सकता है । प्रार्थी “ person or dealer concerned ” नहीं हैं । अतः उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं । वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं । अतः “ person or dealer concerned ” in U.P.VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 21 मार्च, 2014

ह0 / 21.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।